न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, कोटा, जिला कोटा
पीठासीन अधिकारी : मुकेश कुमार चौधरी , आर0ए0एस0

प्रकरण संख्या : 5/2019 (प्रार्थना पत्र – रेफरेन्स)

उनवान

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा

(प्रार्थी)

बनाम

सेटलमेण्ट विभाग, कोटा

(अप्रार्थीगण)

उपस्थित :– 1. पेरोकार सरकार (राजकीय पेरोकार प्रार्थी की ओर से)

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत रेफरेन्स प्रकरण

निर्णय दिनांक : 11.09.2024

1. प्रार्थी राज्य सरकार जर्ये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत यह रेफरेन्स प्रकरण इस बाबत प्रस्तुत किया है कि ग्राम रावठा तहसील लाडपुरा के खसरा नम्बर 397, कुल रकबा 0.35 वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 2074 में खाता संख्या 1 पर किस्म गै0मु0 नाला सिवायचक खाता सरकार दर्ज है। ग्राम रावठा के उक्त ख0न सेटलमेण्ट पूर्व उक्त खसरा नम्बर 281 रकबा 18 बिस्वा राजकीय खातेदार में दर्ज रिकार्ड था। बन्दोबस्त विभाग द्वारा उक्त आराजी मे से ख0न0 281 रकबा 18 बिस्वा जो खाता सरकार गै0मु0नाला दर्ज नाकाबिल आवंटन/ परिवर्तन भूमि थी को खातेदारी में दर्ज कर दी गई जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 में वर्णित श्रेणी की भूमि के अन्तर्गत आती है एंव डी0बी0सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय के आदेशा दिनांक 2.8.2004 से प्रतिबन्धित श्रेणी की भूमियों का आंवटन नहीं करने तथा किये गये आवंटन को निरस्त करने के निर्देश होने से एंव राजस्थान सरकार जयपुर द्वारा जारी परिपत्र सं0 प010(3) राज0/6/01/पार्ट 17/दिनांक 23.9.2011 में उक्त खाता सरकार में दर्ज आराजी वापस मूल स्वरूप में परिवर्तन करने हेतु रेफरेन्स प्रकरण प्रस्तुत कर निवेदन है कि ग्राम रावठा के खसरा नम्बर 397 रकबा 0.35, की किस्म गै0 मु0 नाला राजकीय खाते में दर्ज करने के आदेश प्रदान करें।

2. प्रार्थी की ओर से उक्त प्रकार से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की जर्ये नोटिस तलबी की गई। अप्रार्थी की ओर से प्रतिनिधि उपस्थित। बहस सुनी गई।

3. अतः पत्रावली का अवलोकन किये जाने पर यह पाते है कि ख0न0 281 रकबा 18 बिस्वा भूमि किस्म गैर मु0 नाला दर्ज होना बताया है। वर्तमान ख0न0 397 रकबा 0.35 है0 भूमि सिवायचक नाकाबिल काश्त दर्ज होना अंकित किया है। जबकि संलग्न नकल जमाबन्दी सम्बत् 2071 से 2074 में वाके ग्राम रांवठा आराजी खसरा नम्बर 397 कुल रकबा 0.35 किस्म गै0 मु0 नाला खाता नं0 1 राजकीय सिवायचक खाता सरकार दर्ज है। किस्म गै0 मु0 नाला मे

अति0 जिला कलेक्टर
कोटा

ही दर्ज है। पूर्व जमाबन्दी मिलान क्षेत्रफल संलग्न नहीं किया है। इस प्रकार तहसीलदार लाडपुरा द्वारा यह प्रार्थना पत्र सहवन प्रस्तुत करना तथा इस न्यायालय स्तर पर प्रकरण में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होना पाया जाता है। अतः तहसीलदार लाडपुरा द्वारा प्रस्तुत यह प्रकरण मूल ही वापस लोटाया जाता है।

4. पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर की जावे।

5. निर्णय आज दिनांक 11.09.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुद्रा

(मुकेश कुमार चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
कोटा, जिला कोटा

अति. जिला कलेक्टर
कोटा